अनुबंध

I. धारा 2 – "प्रयोज्यता"

धारा 2 (बी) के प्रावधान (i) को विनियमित संस्थाओं (आरई) को अनुदेश देने के लिए संशोधित किया गया है कि जहां लागू कानून और विनियम इन निदेशों के कार्यान्वयन का निषेध करते हों, वहाँ इसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाए। *आरबीआई एमएल/टीएफ जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरई द्वारा उठाए जाने वाले अतिरिक्त उपायों के आवेदन सहित आरई द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सलाह दे सकता है।*

II. धारा 3 - "साझेदारी फर्म" के लिए हिताधिकारी स्वामी (बीओ) पहचान मानदंड

"साझेदारी फर्मों" के लिए हिताधिकारी स्वामी (बीओ) की पहचान की आवश्यकता से निपटने के लिए एमडी की धारा 3 के उप-धारा (ए), खंड (iv), उप-खंड (बी) में परिवर्तन किए गए हैं। उक्त उपखण्ड (बी) के बाद एक 'स्पष्टीकरण' भी शामिल किया गया है।

III. धारा 3 - प्रधान अधिकारी

एमडी की धारा 3 के उप-धारा (ए), खंड (xviii) में, "प्रधान अधिकारी" (पीओ) की परिभाषा पर, "प्रबंधन स्तर पर" शब्द डाले गए हैं। पीओ की संशोधित परिभाषा है - "प्रधान अधिकारी" प्रधान अधिकारी से आशय है विनियमित संस्था द्वारा नामित प्रबंधन स्तर का वह अधिकारी जो उक्त नियमो के नियम 8 के अंतर्गत सूचना देने के लिए जिम्मेदार है।

IV. धारा 3 - ग्राहक समुचित सावधानी(सीडीडी)

एमडी की धारा 3 के उप-धारा (बी), खंड (v)में, "ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी)" की परिभाषा पर शब्द, "पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करना" शामिल किया गया है। इसके अलावा, परिभाषा को निम्नानुसार एक स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है –

"स्पष्टीकरण – सीडीडी, खाता-आधारित संबंध शुरू करने के समय या पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक राशि का कभी-कभार लेनदेन करते समय, चाहे वह एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेन जो जुड़े हुए प्रतीत होते हों, या किसी अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण संचालन के रूप में किए गए हों, इसमें शामिल होंगे:

(ए) ग्राहक की पहचान, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जहां लागू हो;

(बी) ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;

(सी) यह निर्धारित करना कि क्या कोई ग्राहक किसी हिताधिकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, और हिताधिकारी स्वामी की पहचान करना और पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके हिताधिकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए सभी कदम उठाना।"

V. धारा 3 और 35– "प्रचलितसतत समुचित सावधानी"

एमडी की धारा 3 के उप-धारा (बी), खंड (xi) में, " सतत समुचित सावधानी " की परिभाषा में संशोधन किया गया है और आरई को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि खाते में लेनदेन ग्राहकों, ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल, धन/धन के स्रोत के बारे में आरई के ज्ञान के अनुरूप हैं। धारा 35 में भी तदनुसार संशोधन किया गया है।

VI. धारा 3 – आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के संबंध में स्पष्टीकरण

केवाईसी पर एमडी की धारा 2 के खंड (ए) के अनुसार, एमडी का प्रावधान आरबीआई द्वारा विनियमित प्रत्येक इकाई पर लागू होगा। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी), जिनका अब तक एमडी की धारा 3(बी)(xiv) में 'विनियमित संस्थाओं' की परिभाषा के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, उन्हें एआरसी पर एमडी की प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए धारा 3(बी)(xiv) में शामिल किया गया है।

VII. धारा 4 – सामान्य

धारा 4 के खंड (बी) को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है:

"पीएमएल नियमों के अनुसार, पीएमएल अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अध्याय IV के प्रावधानों के दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से समूह-व्यापी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, प्रत्येक आरई द्वारा, जो एक समूह का हिस्सा है, धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ समूह-व्यापी कार्यक्रम सहित, ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी तथा धन शोधन और आतंकी वित्त जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए समूह-व्यापी नीतियां लागू की जाएगी, और ऐसे कार्यक्रमों में गोपनीयता और आदान-प्रदान की गई जानकारी के उपयोग पर पर्याप्त सुरक्षा उपायो सहितटिप-ऑफ को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल होंगे."

VIII. धारा 5ए - आरईएस द्वारा धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन

आरई को विकल्प प्रदान करने के लिए धारा 5ए के खंड (बी) में संशोधन किया गया है कि एमएल/टीएफ जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की आवधिकता या तो 'आरई के बोर्ड' या 'बोर्ड की एक समिति' द्वारा निर्धारित की जा सकती है, जिसके पास शक्ति है, प्रत्यायोजित है.

IX. धारा 5बी – पहचाने गए जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए सीडीडी कार्यक्रम

धारा 5ए का खंड (डी) हटा दिया गया है और एक नई धारा (5बी) निम्नानुसार जोड़ी गई है:

"5बी. *जोखिमों (स्वयं या राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से पहचान किए गए) के शमन और प्रबंधन के लिए आरई द्वारा जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू किया जाएगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। आरईएस पहचाने गए एमएल/टीएफ जोखिमों और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए एक सीडीडी कार्यक्रम लागू करेगा। इसके अलावा, आरईएस नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बढ़ाएगा।*

X. धारा 10 - ग्राहक स्वीकृति नीति

धारा 10 के खंड (बी) में निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा गया है: *"यदि आवश्यक हो तो आरई एसटीआर दाखिल करने पर विचार करेगा, जब वह ग्राहक के संबंध में प्रासंगिक सीडीडी उपायों का अनुपालन करने में असमर्थ हों।"*

धारा 14

धारा 14 के खंड (ए) को निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है –

"(ए) तृतीय पक्ष द्वारा ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी के अंतर्गत संकलित आवश्यक जानकारी या रेकॉर्ड तृतीय पक्ष से या केंद्रीय केवाईसी रेकॉर्ड रजिस्ट्री से तुरंत प्राप्त की जाए;"

XII. धारा 24 - गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा खाते खोलने की सरलीकृत प्रक्रिया

धारा 24 में खंड (एच) जोड़ा गया है. उपवाक्य इस प्रकार है:

"खाते की निगरानी की जाएगी और जब एमएल/टीएफ गतिविधियों या अन्य उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों का संदेह हो, तो धारा 16 या धारा 18 के अनुसार ग्राहक की पहचान स्थापित की जाएगी।."

XIII. धारा 32 – ट्रस्टों के लिए सीडीडी प्रक्रिया

धारा 32 के खंड (ई) में "सेटलर" शब्द के बाद "संरक्षक", यदि कोई हो" शब्द जोड़ा गया है।

XIV. धारा 33बी

एमडी की धारा 33बी में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया है –

"बशर्ते कि ट्रस्ट के मामले में, आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रस्टी खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय अथवा इस एमडी के धारा 13 के खंड (बी), (ई) और (एफ) में निर्दिष्ट लेनदेन करते समय अपनी स्थिति का खुलासा करे।"

XV. धारा 38 - केवाईसी का अद्यतनीकरण/आवधिक अद्यतनीकरण

धारा 38 के तहत केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को इस प्रकार संशोधित किया गया है- " आरई को केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीडीडी के अंतर्गत एकत्र की गई जानकारी या डेटा को अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाएगा, खासकर जहां उच्च जोखिम है।

XVI. धारा 41 - राजनीतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों के खाते

धारा 41 को इस प्रकार संशोधित किया गया है-

"41. राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यक्तियों (पीईपी) का खाता-

ए. विनियमित संस्था (आरई) को राजनैतिक रूप से एक्सपोज्ड व्यक्तियों के साथ (चाहे ग्राहक या लाभकारी स्वामी के रूप में) कारोबारी संबंध स्थापित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि, सामान्य ग्राहक के उचित सावधानी प्रक्रिया को अपनाने के अलावा:

(ए) आरई के पास यह निर्धारित करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियां हैं कि ग्राहक या लाभकारी स्वामी पीईपी है या नहीं;

(बी) धन/संपत्ति के स्रोत की स्थापना के लिए आरई द्वारा उचित उपाय किए जाते हैं;

(सी) पीईपी के लिए खाता खोलने की मंजूरी वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त की जाएगी;

(डी) ऐसे सभी खातों की सतत आधार पर संवर्धित निगरानी की जानी चाहिए;;

(ई) किसी विद्यमान खाते का लाभार्थी स्वामी अथवा विद्यमान ग्राहक जो बाद में पीईपी हो जाता है तो उक्त ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए;

बी. ये अनुदेश पीईपी के परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों पर भी लागू होंगे।

XVII. धारा 46 - रिकार्ड प्रबंधन

अब तक एमडी की धारा 46 की परिचयात्मक पंक्तियाँ इस प्रकार थीं:

"पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, **ग्राहक खाते की जानकारी** के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे"

उपरोक्त आवश्यकता से **"खाता"** शब्द हटा दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि अभिलेख को एमडी की धारा 46 के अनुसार आरई द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए, भले ही ग्राहक वॉक-इन ग्राहक हो या खाताधारक हो।

तदनुसार, एमडी की **धारा 46** में संशोधन किया गया है।

XVIII. धारा 49

एमडी की धारा 49 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

"**49**. निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना देते समय लेनदेन की रिपोर्टिंग में हुई प्रत्येक दिन की देरी अथवा नियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के बाद गलत रूप से दर्शाये गए किसी लेनदेन को सुधारने में होने वाली प्रत्येक दिन की देरी को अलग से एक उल्लंघन माना जाएगा। विनियमित संस्थाएं उन खातों के परिचालनों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जिनके संबंध में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजी गई है। आरई केवल दायर एसटीआर के आधार पर खातों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। प्रत्येक आरई, उसके निदेशक, अधिकारी और सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 3 में निर्दिष्ट रिकॉर्ड के रखरखाव के तथ्य और निदेशक को जानकारी प्रस्तुत करना गोपनीय है। हालाँकि, ऐसी गोपनीयता की आवश्यकता लेनदेन और गतिविधियों के किसी भी विश्लेषण के लिए इस मास्टर डायरेक्शन की धारा 4 (बी) के अंतर्गत जानकारी साझा करने में बाधा नहीं बनेगी, जो असामान्य प्रतीत होती है, यदि ऐसा कोई विश्लेषण किया गया है।

XIX. धारा 53बी - प्रतिउपाय

एमडी में एक नई धारा 53बी इस प्रकार जोड़ी गई है -

***"53बी**. जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतरसरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर आरई को जवाबी कार्रवाई करनी होगी।''*

XX. धारा 54 - ऐसे क्षेत्राधिकार जो एफएटीएफ अनुशंसाओं को लागू नहीं करते या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं

एमडी की धारा 54 को निम्नलिखित वाक्य के स्थान पर संशोधित किया गया है *"एफएटीएफ वक्तव्य में शामिल न्यायक्षेत्रों के एएमएल/सीएफटी शासन में कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा जाएगा" के साथ " आरई उन देशों, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा कहा गया है, के प्राकृतिक और विधिक व्यक्तियों (वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन के लिए ऐसे संवर्धित समुचित सावधानी संबंधी उपायों को लागू करेंगे जो जोखिमों के लिए प्रभावी और आनुपातिक हैं।"*

XXI. धारा 55ए - एफसीआरए संबंधित प्रावधान

दिनांक 1 जुलाई 2015 "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(1)(ए) के तहत जारी दिशानिर्देश - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के प्रावधानों का

कार्यान्वयन" शीर्षक के अंतर्गत जारी मास्टर परिपत्र (एमसी) को निरस्त कर दिया गया है। एमडी में एफसीआरए पर एक नई धारा 55ए (अध्याय X में - एमडी के 'अन्य अनुदेश') जोड़ी गई है।

XXII. धारा 59

धारा 59 को इस प्रकार संशोधित किया गया है:

खाता खोलने और लेनदेनों की निगरानी संबंधी अनुदेशों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए ताकि ''धनशोधन के माध्यमों'' (मनीम्यूल) के कार्यकलापों को कम किया जा सके। अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए `धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने वाले कुछ व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो धनशोधन का माध्यम बना दिये गए ऐसे तीसरे पक्षकारों को भर्ती कर जमा खातों तक अवैध रूप से पहुँच बना लेते हैं। *बैंक उन खातों की पहचान करने के लिए परिश्रम उपाय और सावधानीपूर्वक निगरानी करेंगे जो मनी म्यूल्स के रूप में संचालित होते हैं और एफआईयू-आईएनडी को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने सहित उचित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा,* यदि यह स्थापित हो जाता है कि खोला और संचालित खाता मनी म्यूल का है, लेकिन संबंधित बैंक द्वारा कोई एसटीआर दाखिल नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि बैंक ने इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया है।

XXIII. धारा 63 - प्रतिनिधि बैंकिंग

एमडी की धारा 63 में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया है कि प्रतिवादी बैंक के बारे में जानकारी *इकट्ठा* करने के अलावा, बैंक एकत्रित जानकारी का उपयोग प्रतिवादी बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को पूरी तरह से *"समझने"* के लिए, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से प्रतिवादी बैंक की ''प्रतिष्ठा'' और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह एमएल/टीएफ जांच या नियामक कार्रवाई के अधीन है, निर्धारित करने के लिए भी करेंगे। बैंक "प्रतिवादी बैंक के एएमएल/सीएफटी नियंत्रण का भी आकलन करेंगे"। इसके अलावा, शेल बैंक के साथ प्रतिनधि बैंकिंग संबंध स्थापित या "जारी" नहीं किए जाएंगे।

XXIV. धारा 64 – वायर अंतरण

एमडी की धारा 64 के पैरा ए के बिंदु (iv) को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि *पचास हजार रुपये से कम के घरेलू वायर ट्रांसफर के मामले में, जहां प्रवर्तक ऑर्डर करने वाले आरई का खाताधारक नहीं है और जहां वायर ट्रांसफर के साथ जुड़ी जानकारी लाभार्थी आरई और उपयुक्त प्राधिकारियों को अन्य माध्यमों से दी जा सकती है, वहाँ आदेशक आरई के लिए एक विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या शामिल करना पर्याप्त है, बशर्ते कि यह संख्या या पहचानकर्ता लेनदेन से जुड़े प्रवर्तक या*

लाभार्थी की पहचान की अनुमति देगा। इसके अलावा, यह भी निदेश दिया गया है कि आदेशक आरई को मध्यस्थ आरई, लाभार्थी आरई, या उपयुक्त सक्षम प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने के तीन कार्य/कार्य दिवसों के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

धारा 64 (वायर-अंतरण) के पैरा बी के बिंदु (iv) में निहित वायर ट्रांसफर निर्देश जो धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) प्रदाताओं से संबन्धित थे, उन्हें अन्य आरई तक भी बढ़ा दिया गया है।

XXV. एमडी के अनुबंध II में संशोधन

एमडी के अनुबंध II में प्रदान की गई "विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 2 फरवरी, 2021 के आदेश को संशोधन के परिणामस्वरूप 29 अगस्त, 2023 के शुद्धिपत्र के माध्यम से अद्यतन किया गया है।

ए) पैरा 7 के शीर्षक में "*और कोई अन्य व्यक्ति*" शब्द जोड़े गए हैं।

बी) पैरा 7 के तहत दो उप-पैरा जोड़े गए हैं।

XXVI. एमडी के अनुबंध III में संशोधन

दिनांक 30 जनवरी 2023 के पूर्ववर्ती डबल्यूएमडी आदेश एफ़.सं. पी-12011/14/2022-ईएस कक्ष-डीओआर, को हटाते हुए सरकार द्वारा 1 सितंबर 2023 को एक संशोधित डबल्यूएमडी आदेश जारी किया गया है। तदनुसार, केवाईसी पर एमडी का अनुबंध III अब 1 सितंबर, 2023 के डबल्यूएमडी आदेश को दर्शाता है। साथ ही, धारा 52 में संबंधित संदर्भ को यथानुरूप संशोधित किया गया है।

****